

PEOPLE EDUCATIONAL SOCIETY

Dr. Rajat Agrawal
M.B.B.S. M.S. (Ortho.)
Secretary

Agrawal Orthopaedic Hospital
Jubilee Road, Gorakhpur-273001
Ph. No. 0551-2333102, 2305263
Email: agrawalrajat@gmail.com
Website: anhhospital.org

Ref. No.: PHS/Up/Assign/2021-22/18

Dated: September 10, 2021

प्रिय श्री राजनीश चौधरी

नियुक्ति प्रपत्र

आपको इस संस्थान में नियुक्ति हेतु प्रस्ताव पत्र देने और व्यक्तिगत साक्षात्कार में सहभागिता करने के लिए सज्जता। यह आपकी इस संस्थान की इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग विभाग में क्यापबलता के पत्र पर सन्निहित होने का प्रमाण देने का और यह अपेक्षा करते हैं कि आप दिनांक 17.09.2021 को पूर्ण रूप से उपस्थित रहना कर लेंगे/होगी।

आपकी नियुक्ति से सम्बंधित नियम एवं शर्तें निम्नान्त होगी

I. परिचय पत्र

आप को वर्षी (2021-22 एवं 2023-24) के परिचय पत्र पर होगा। और यह अवधि 30.09.2021 तक जारी रहेगी। इस दो वर्ष के अवधि में प्रथम समिति को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह आप को दो वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही आपको बिना एक महीने का नोटिस दिए ही आपका कार्यकाल समाप्त कर दे।

II. नियुक्ति का स्वरूप

सम्बंधित परिचय पत्र के सम्बन्ध पर अपने स्थायीकरण विभागीकरण हेतु आपको संस्थान को नियमित रूप से समिति (जब भी वह आवश्यक समझें) सलाह उपलब्धता होगा रहेगा। इस नियमित रूप से समिति के संचालित पर ही आपकी नियुक्ति आपसे दो वर्षों के लिए प्रभावित रहेगी।

III. वेतन प्रस्ताव

सर्वोपरि प्राप्ति करने की तिथि से आप को कुल वार्षिक वेतन प्रतिमास ₹ 13,600/- देया होगा।

IV. सेवा अनुभव पत्र

आपकी नियुक्ति के स्थायीकरण के उपरान्त आपको संस्थान को पूरे एक सेमेस्टर सेवा देने होगी और आप इस बीच संस्थान नहीं छोड़ सकते/सकेंगी। आपको जो जिन को अपने में रखेंगे हुए सेमेस्टर के दौरान संस्थान छोड़ना प्रथम समिति को स्थायीकरण हेतु अनुमति नहीं है। यदि आप संस्थान छोड़ना ही चाहते/चाहती हैं तो प्रथम सेमेस्टर के अन्त में अवगत करानी दिनांक 15.09.2021 में या अगली मई में जब बंधाव नहीं चल रही हो तो आप स्थायीकरण दे कर जा सकते/सकेंगी।

किसी अन्य महीने में स्थायीकरण न होकर केवल केवल प्रस्ताव में प्रतिबन्धित अनुभव प्रमाण-पत्र प्रकृति में बंधा उपरान्त कर सकता है जब तक कि ऐसे अन्यायक स्थायीकरण के पीछे कोई अहित कारण न दिया गया हो।

V. नोटिस अवधि

नियुक्ति के स्थायीकरण के उपरान्त दोषों में से कोई एक 15-30 दिन की नोटिस देकर नियुक्ति समाप्त कर सकता है। संस्थान को यह अधिकार होगा कि इस नोटिस अवधि के अन्त में एक महीने का वेतन आप को न देकर आप से प्रार्थना कर ले।

VI. अनुशासनहीनता के कारण सेवा समाप्ति

आप के कार्यकाल के दौरान यदि वह पाया गया कि आप किसी प्रकार संस्थान के दिन के विरहित कोई कार्य कर रहे/रही है। अथवा आप का कोई कार्य संस्था के प्रति को भ्रष्ट कर रहा है अथवा आप का व्यवहार प्रथम समिति के किसी सदस्य के प्रति दोषपूर्ण है अथवा संस्थान के किसी सम्मानित अधिकारी के प्रति आपका व्यवहार अपमानजनक, अनैतिक एवं अपमानजनक है, अथवा यह पाया जाये कि आप प्राणपूर्वक रूप से किसी कार्य को समाप्त करने में अक्षमतापूर्ण निष्कर्ष या अप्रवृत्ति कर रहे/रही है, तो आपकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है। ऐसे स्थिति में आप सेवा निवृत्तता के प्रकरण में स्वयं जिम्मेदार होंगे/होगी। ऐसे सेवा समाप्ति पर इससे सम्बंधित किसी विवाद को निवारण हेतु क्षेत्रधिकार सम्बंधित निकाय उपस्था। ऐसे विवाद अन्य किसी अन्य क्षेत्र के कार्य परिधि के अन्तर्गत नहीं आये।

VII. कार्य अनुसूची

आप संस्थान को समय सादृष्टी से अनुसूचित कार्य करेंगे/करेंगी। आप इस कार्य अनुसूची का पूरी तरह से पालन करेंगे/करेंगी। आप अपने पद तथा उत्तर दायित्व के अनुसार कार्य दिवस का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे/करेंगी। आप से अथवा व्यवहार समय की पालनी, संस्थान के प्रति समर्पण की भावना, अनुशासन प्रियाता तथा कार्य के प्रति लगन आप के कार्यकाल के दौरान आप से अपेक्षित है।

VIII. प्रतिबन्ध

इस संस्थान में आपकी नियुक्ति एक पूर्ण वार्षिक नियुक्ति है और आप पूरे समय संस्थान को उपदेरवी के अनुसार कार्य समाप्त करेंगे। आप संस्थान के बाहर किसी अन्य संस्था में वेतन प्रदत्त कार्य नहीं करेंगे। संस्थान के बाहर किसी कोई वेतन युक्त सम्पादित कार्य संस्थान द्वारा अनुमत्त नहीं है। और ऐसे लिए मरु कार्य के लिए कोई अनुमति भी नहीं है।

आपको सम्बन्धित शिष्ट कार्य के अतिरिक्त आपको अधिकार प्राप्त योग्यता को ध्यान में रखते हुए संस्थान को दिन में कोई अतिरिक्त कार्य प्रवृत्त सन्निधि / नवनिदेशक / निदेशक द्वारा समय समय पर दिया जा सकता है।

Registration No. 1164/2004-2005

Registered Office : Agrawal Orthopaedic Hospital, Jubilee Road, Gorakhpur, (U.P.) 273001

Phone : 01-0551-2333102, 2349789

PEOPLE EDUCATIONAL SOCIETY

Dr. Rajat Agrawal
M.B.B.S. M.S. (Ortho.)
Secretary

Agrawal Orthopaedic Hospital
Jubilee Road, Gorakhpur-273001
Ph. No. 0551-2333102, 2305261
Email : agrawalram@hotmail.com
Website : aohospital.org

पैन 02 विद्युति सभ्यता की समीक्षा कीर्ती

जब किसी भी परिस्थिति में सम्मान के समर्थ अधिकारी के सम्बन्धी के बिना सम्मान के औपचारिक प्रकरणों एवं मामलों के बारे में किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को अवगत नहीं करने पर तक कि इसमें कोई किलम अंगत साधुवी व्यवस्था न उपस्थित हो। इनमें अधिकृत ज्ञान सम्मान के औपचारिक सम्बन्धी प्रशासनिक प्रशासी, सौधकार, सौधकारों मदति मिलने बारे में सुचना ज्ञान में स्थिति हो या ज्ञान को कार्य करने की प्रवृत्त ज्ञान दुई हो किसी अन्य संस्था एवं व्यक्ति से सहाय नहीं करने/करने।

X पूर्ण अधिकृत सम्बन्धित सम्बन्ध

जदि ज्ञान द्वारा सम्मान को प्रदत्त अधिकृत, सौधकार, अथवा इस संस्था समन्वयक पर अस्वीकार नहीं है, तो सम्बन्धी सौधकार बिना किसी पूर्ण सुचना के गिराव कर दी जावेगी।

XI प्रस्ताव एवं विवाद

वेदा सम्बन्धी के सम्मान ज्ञानरी पर अज्ञान की जाती है कि सभी सम्बन्धित सम्बन्धी सम्बन्धित, विशेष उपरोक्त, सुचनासम्पन्न की पुस्तकें, पाठ्यपुस्तकें, उपकरण और संसाधन द्वारा प्रदत्त विभिन्न सामग्री सम्बन्धित के ज्ञान कर देने और अज्ञानता ज्ञान प्रदान पर सम्मान को सम्मान्य कर देने ताकि ज्ञान को अज्ञानता प्रदान कर सुना होने की पूर्ण उपरोक्त संस्था पर सभी। वेदा सम्बन्धित सुचना निर्गत होने के सम्बन्धित ज्ञान सभी सम्बन्धित सम्बन्धी ज्ञानरी अज्ञान अधिकृत सम्बन्धी को ज्ञान देने ज्ञाना इस उपरोक्त के सम्बन्धी की ज्ञान देने/दोने अज्ञान इस उपरोक्त के पूर्ण वेदा सम्बन्धित अधिकृतों को सम्बन्धित कर देने/दोने।

XII ज्ञान

ज्ञानरी विद्युति की सभी ज्ञान विज्ञान उपरोक्त सभी ज्ञानरी को सम्बन्धित है वे सभी ज्ञान सम्मान के द्वारा अधिकृत और प्रदत्त होगी।

XIII विद्युति सम्बन्धी कार्य की सम्बन्धी एवं सम्बन्धी

ज्ञानरी विद्युति सभी सम्बन्धी एवं पूर्ण सम्बन्धी जावेगी जब यह ज्ञान सम्मान जावेगी कि ज्ञान में सम्बन्धी ज्ञानरी को सम्बन्धी नहीं पर दिया है और पूर्ण सम्मान से सम्मान लिया है और यह सम्बन्धी एवं ज्ञान सम्बन्धी सम्बन्धी (1 से लेकर XII) तक सम्बन्धी है। ज्ञान में सम्बन्धी की जाती है कि ज्ञान सम्बन्धी अधिकृतों प्रदान-प्राप्त, अनुसंधान परम्प्रे, की ज्ञाना इति सम्बन्धी सम्बन्धी ज्ञानरी को सम्मान सम्बन्धी को सम्बन्धी कर देने/दोने।

ज्ञानरी सम्मान करने के सम्मान ज्ञान निर्देशक को सम्मान उपस्थित होने/होने और ज्ञानरी सम्मानक निर्देशक ज्ञान करने/करने। ज्ञानरी सम्मान करने के सम्मान ज्ञान इस सम्मान पर सम्बन्धी करने निर्देशक सम्बन्धी को ज्ञान ज्ञान देने/दोने विज्ञान पर सम्बन्धी होने कि ज्ञान सम्बन्धी सम्बन्धी को सम्बन्धी सम्मान लिया है।

सम्बन्धी सम्बन्धी सम्बन्धी में ज्ञान को सम्मान करने हुए सम्मान सम्बन्धी सम्बन्धी की सम्मान करने हुए।


डा. राजत अग्रवाल
(सचिव)

मैंने अपने विद्युति सम्बन्धी सम्बन्धी और ज्ञानरी को सम्बन्धी सम्मान लिया है वे सभी सम्बन्धी में ज्ञाना सम्बन्धी एवं सम्बन्धी सम्बन्धी सम्मान/करती हूँ।

नाम सम्बन्धी सम्बन्धी
सम्बन्धी Kajwath Chaudhary
दिनांक:

